न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I (RAS)**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **19/2019** **GCMS 2019/00032**

प्रार्थी :–

1. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामन सिटी

अप्रार्थी:–

1. पदमाराम पुत्र जोधाराम जाति गुर्जर निवासी कुचामन सिटी के कायम मुकाम

   1/1 भंवरलाल पुत्र पदमाराम

   1/2 नन्दाराम पुत्र पदमाराम

   1/3 उम्मेद पुत्र पदमाराम

   1/4 मदनलाल पुत्र पदमाराम

   1/5 मन्नी देवी पुत्री पदमाराम

   1/6 नारायणी देवी पत्नी पदमाराम जाति समस्त गुर्जर निवासी कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177, 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

श्री श्यामसुंदर चौधरी वकील अप्रार्थी

–:निर्णय :–

दिनांक :– 10/01/2025

तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम में कुचामन सिटी अवस्थित वर्तमान खसरा नम्बर 1013 रकबा रकबा 0.6775 हैक्टयर किस्म बारानी 2 अवस्थित है। चालू भू राजस्व अधिकार अभिलेख सम्वत 2075 में उक्त भूमि की किस्म कृषि बारानी 2 भूमि है। जिसका अप्रार्थी खातेदार है। वादग्रस्त भूमि की वर्तमान किस्म बारानी द्वितीय में अप्रार्थी पदमाराम द्वारा उपर्युक्त आराजी में से 0.1[illegible] हैक्टयर भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकरी की स्वीकृति प्राप्त किये गये कृषि प्रयो[illegible] सम्परिवर्तन करवाये बिना सीमेंट ब्लॉक फेक्ट्री हेतु औद्योगिक कार्य के लिए नेमाराम बराला के माध्यम [illegible]षि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

को दुरूपयोग कर कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यो के लिए उपयोग में ले रहा है। इस वजह से कृषि भूमि की उर्वरकता को नष्ट हो रही है। उक्त खसरा नम्बर 1013 की बारानी द्वितीय की भूमि कृषि प्रयोजन से असंगत सीमेन्ट ब्लॉक निर्माण के कार्यों हेतु उपयोग में लेकर उक्त कृषि भूमि की उर्वरक क्षमता को भारी नुकसान कारित किया है अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लधंन है। ग्राम कुचामन सिटी के वर्तमान खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.6775 हैक्टयर बारानी द्वितीय कृषि भूमि में अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त आराजी राजकीय खातेदारी की सिवाय चक घोषित की जाकर अप्रार्थी की बेदखली की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, जिसमें कथन किया है कि कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 1013 की भूमि में से कुछ भूमि को नेमाराम पुत्र श्री चन्द्राराम जाति जाट निवासी कुचामन सिटी वाले विक्रय की थी जिसको नेमाराम ने नियमानुसार रूपान्तरण करवाकर सीमेंट ब्लॉक फेक्ट्री स्थापित कर रखी है इसलिए अप्रार्थी द्वारा भूमि का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थी अपनी कब्जाशुदा खातेदारीशुदा भूमि पर आज भी कृषि कार्य की करता आ रहा है इसलिए उर्वरक क्षमता को नुकसान पहुंचाने का प्रश्न की पैदा नहीं होता तथा न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का उल्लंधन हो रहा है। अप्रार्थी द्वारा भूमि का उपयोग कृषि कार्य में लिया जा रहा है तब अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने व सिवाय चक राजकीय भूमि घोषित किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। अप्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन कृषि ही है तथा कृषि कार्य से ही अपने व अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। प्रार्थी ने बिना जांच किये ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है।

पटवारी हल्का कुचामन सिटी से [illegible] खसरा नम्बर के सबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1013 के खातेदार पदमाराम पुत्र जोधाराम हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर का स्वर्गवास हो चुका है। मोके पर उक्त खसरा नम्बर में पदमाराम पुत्र जोधाराम के वारीसान के मकान बने है बाकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

भूमि खाली है। अप्रार्थी के स्वर्गवास के कारण वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पेश किया गया। राजपैरोकार द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पदमाराम के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया।

प्रकरण में उभय पक्षकरान की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। वर्तमान रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त भूमि में आवासीय मकानात के अलावा शेष भूमि खाली है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों आधार पर यह प्रार्थना पत्र/वादपत्र निरस्त काबिल पाया गया है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र/वाद पत्र खारिज प्रार्थी खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:09 IST
Reason: SelfAttested